तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एल.आर/1155/2006/जयपुर** **सरकार बनाम गुल्ला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–
1– श्री शिशिर विजयवर्गीय, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी।
2– अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित, एकतरफा कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक :– 18.03.2026

यह रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय), जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 533/2005 में पारित आदेश दिनांक 18–01–2006 की अभिशंषा में राजस्व मण्डल को प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, आमेर द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेफरेंस प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि ग्राम बगवाड़ा, तहसील आमेर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 686, 688, 689, 690 व 691 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2009–27 के अनुसार माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी के नाम दर्ज थी। कालान्तर में जमाबन्दी तहरीर करते समय तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2060–63 के अनुसार उक्त आराजी में से हाल खसरा नं0 1547 रकबा 0–26 है0 अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मन्दिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है। इसलिए माफी मन्दिर मूर्ति द्वारा धारित भूमि का अंकन अन्य किसी व्यक्ति/संस्था के नाम पर नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में अविधिक रूप से अंकित की गयी प्रविष्ठि/ नामान्तकरण विधि एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है इसे हटा कर पुनः खातेदारी माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

3. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचित किया गया, जिसकी आदिनांक तक ए.डी. अप्राप्त होने से इसको समयावधि मानकर तामील

मानी जाती है। अप्रार्थीगण को बार–बार आवाजें लगवाई गई परन्तु बावजूद सूचना कोई भी उपस्थित नहीं होने से उप राजकीय अभिभाषक की रेफरेन्स पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस रेफरेन्स पर सुनी गयी।

5. विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2009–27 के अनुसार माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी की खातेदारी में दर्ज थी। जिसकी जमाबन्दी तैयार करते समय माफी मन्दिर का नाम विलोपित कर अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गयी। माफी मन्दिर की भूमि का हस्तान्तरण अप्रार्थी के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से हुआ है। मन्दिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) माना गया है। इसलिए माफी मन्दिर मूर्ति द्वारा धारित भूमि का अंकन अन्य किसी व्यक्ति/संस्था के नाम पर नहीं किया जा सकता है। विवादित भूमि मंदिर मूर्ति के खातेदारी की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के तहत मन्दिर/मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना है। ऐसी भूमि को किसी भी कानून के तहत अन्य व्यक्ति के नाम इन्द्राज नहीं किया जा सकता है। तत्कालीन समय में हल्का पटवारी द्वारा मन्दिर/मूर्ति की भूमि को निजी व्यक्ति के खाते में दर्ज कर दिया गया है जो कि विधि के सर्वथा विपरीत होकर प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः हाल आराजी से विपक्षी के नाम को हटाया जाकर पुनः माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी के नाम पर खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

6. हमने विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत तर्कों पर गहनता से मनन करते हुए पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व परिशीलन किया।

7. हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2008 से 2027 में अंकित आराजी नम्बर 686, 688, 689, 690 व 691 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि जो श्री ठाकुरजी के खाते में अभिलिखित होकर पुजारी रूड़मल वल्द किशनलाल कौम ब्राह्मण सा0देह दर्ज रिकॉर्ड थी। कालान्तर में जमाबन्दी तहरीर करते समय तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एल.आर/1155/2006/जयपुर** **सरकार बनाम गुल्ला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश से प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2060–63 के अनुसार उक्त आराजी में से हाल खसरा नं0 1547 रकबा 0–26 है0 अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रश्नगत आराजी भू–भाग गत अभिलेख में माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी की होकर मन्दिर मूर्ति की भूमि थी। मन्दिर मूर्ति की भूमि को बिना किसी आधार के विपक्षी के खाते में दर्ज कर दिया गया है जो कि नियमों के विपरीत है। इस प्रकार के इन्द्राज पूर्णतया नियमों के विरुद्ध हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के तहत मंदिर/मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है।

8. विभिन्न न्याय दृष्टान्तों में बहुत स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होने के कारण उनके नाम की भूमि पर किसी भी प्रकार से खेती का कार्य करने पर भी खातेदार नहीं बन सकते हैं। यथा न्याय दृष्टान्त 2002 आर0आर0टी0 पेज 82 में अभिनिर्धारित किया गया है कि –

Rajasthan Tenancy Act, 1955-Secs. 46 & 19-Khatedari rights in land of idol or temple cannot be acquired by any one who cultivates it as the sub tenant.

9. इस संबंध में न्याय दृष्टान्त 2002 आर0आर0टी0 पेज 604 में भी प्रतिपादित किया गया है कि –

Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 46 - Land given to Mahant for Bhog-Raaj of diety by the then Ruler Land could not be recorded in name of Mahant/Pujari as khudkast and no tenancy rights accrue to them. Reference made by Collector rightly allowed and righly ordered to record the land in the name of diety.

following alue in execution

10. 1995 आर.आर.डी. पेज 418 में उद्धरित किया गया है कि –

(B) Rajasthan Tenancy Act, Sections 5(25), 45(4), 46(1) (e), 180 (1)(b) & 183- After resumption of muafi land belonging to the temple is khudkasht land Murti Mandir is a perpetual minor, subtenancy does not accrue to the tenant. Suit for eviction will lie u/s 183-Murti Mandir is a perpetual minor and a juristic person incapable of cultivating the land. Land held by idol is khud kasht by virtue of resumption of muafi land and Section 5(25) of the R.T. Act- Sub tenancy rights do not accrue to the Pujari, Shebayat,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एल.आर/1155/2006/जयपुर** **सरकार बनाम गुल्ला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Manager, Kartano red labour-Protection is provided under sections 45(4) and 46(1)(c) - Admission in a suit by Mandir against law is not valid. There can be no estoppel against the statute. Principles of holding over do not apply on khudkasht land belonging to the idol and the tenant cultivating the land will be a trespasser if possession not handed over after refusal by the Mandir however old may be the possession. Period of limitation of one year or three years does not count in such khudkasht land because suit will not lie u/s 180 (1) (b)- Suit for eviction and possession will lie u/s 183 and not u/s 180 (1) (b).

11. उपरोक्त विवेचन के पश्चात् हमारे विनम्र मतानुसार मन्दिर/मूर्ति की भूमि को निजी व्यक्ति के खाते में दर्ज कर दिया गया है यह किसी भी प्रकार विधिसम्मत् नहीं है। अतः इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है।

12. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार रेफरेंस को न्यायहित में **स्वीकार** करते हुए ग्राम बगवाड़ा, तहसील आमेर में स्थित साबिक आराजी ख0 नं0 686, 688, 689, 690 व 691 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा में से हाल आराजी खसरा नं0 1547 रकबा 0–26 है0 अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी को हटाई जाकर पुनः माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण भी निरस्त किये जाते हैं।

13. पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य